



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल, ग्वालियर

ठिकाना - १४८५ ई-१६

१०

१. श्रीमति सरोज साहू पति डॉ के.के. साहू
निवारी शंकराचार्य वार्ड कन्देली नरसिंहपुर तहसील व जिला नरसिंहपुर
२. रेवा शंकर सोनी आ. श्री मूलचंद सोनी
निवारी गांधीवार्ड, कन्देली नरसिंहपुर तहसील व जिला नरसिंहपुर

आवेदकगण

बनाम

१. प्रशान्त कुमार पाठक आ. श्री पी.पी. पाठक
२. पंकज कुमार पाठक आ. श्री पी.पी. पाठक
दोनों निवासी जबलपुर, २१२००४३७ का नं. १६,
२१२००४३७, जबलपुर, नर-प्रभाना-जबलपुर

अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 एवं धारा 129 म.प्र.भू.रा.सं.59

आवेदकगण वर्तमान निगरानी नाप प्रकरण क्रमांक ३५/१२ सन् २०१५ मौजा नकटुआ नं.बं. २७० प.ह.न.४३ तहसील जिला नरसिंहपुर न्यायालय श्रीमान तहसीलदार नरसिंहपुर द्वारा जारी नाम कमीशन से सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख नरसिंहपुर द्वारा बिना सूचना के किए गए नाम दिनांक २८.०६.२०१५ प्रतिवेदन दिनांक २१.०८.२०१५ आदेश दिनांक ३०.११.२०१५ जिसकी जानकारी दिनांक १८.०३.२०१६ में लगते ही नकल आवेदन दिनांक १८.०३.२०१६ में प्राप्त होते ही अन्य अनेक आधारों पर प्रस्तुत है।

तथ्य

- M ✓ १. यह कि मौजा नकटुआ नं.बं. २७० प.ह.न.४३ तहसील व जिला नरसिंहपुर में स्थित ख.नं. ३४/२, ११२/३, ३४/४, ११२/४, ३४/६, ११२/६ कुल रकवा ४.४७३ है. का नाम आवेदन पत्र अनावेदक गण द्वारा सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख नरसिंहपुर के समक्ष लगाया गया रहा है एवं सहायक अधीक्षक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मो प्र०, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण कमांक निगरानी 1455—एक / 2016 जिला—नरसिंहपुर

स्थान दिनांक	तथा कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
१५-२-१९	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा सहायक अधीक्षक भू—अभिलेख नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 3 / अ—१२ / २०१५ में पारित आदेश दिनांक 30.11.2015 के विरुद्ध मो प्र० भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—५० के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>२— मो प्र० भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा ५० में वर्ष २०१८ में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा ५० (२) इस प्रकार है:—</p> <p>धारा—५० (२) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन—</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>३—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 15/4/19</p> <p>अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर</p> 	